

## सुप्रीम कोर्ट:

समुद्र से मछली पकड़ने के साथ-साथ गहरे समुद्र की मछलियों के संरक्षण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

द हिन्दू

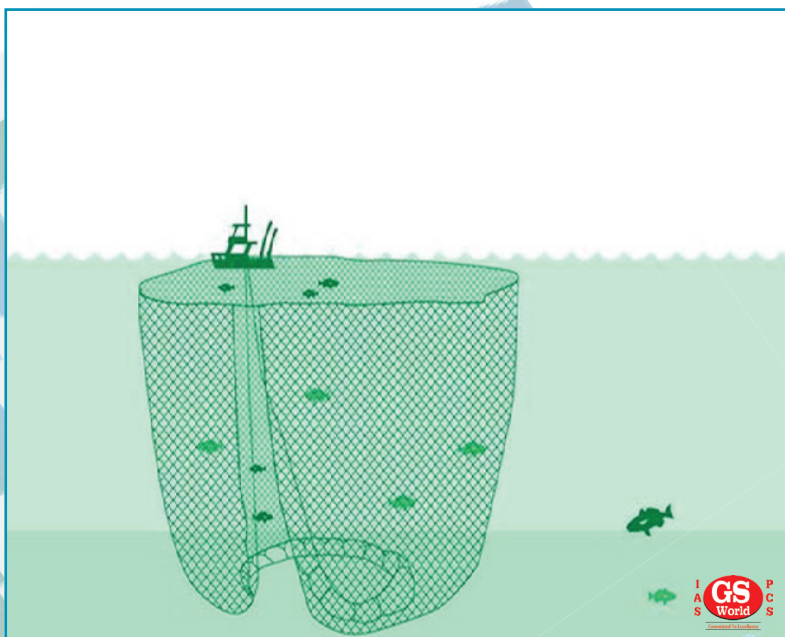
पेपर-III  
( पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी )

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के क्षेत्रीय जल (12 समुद्री मील) से परे और विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) (200 समुद्री मील) के भीतर मछली पकड़ने के लिए 'पर्स सीन गियर' का उपयोग करने की अनुमति दी है, लेकिन कुछ प्रतिबंधों का पालन करते हुए। फरवरी 2022 में तमिलनाडु सरकार द्वारा पर्स सीन के द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ 24 जनवरी, 2023 का न्यायालय का अंतरिम आदेश, तटीय राज्य के संरक्षण उपायों और दायित्वों की तुलना में प्रशासनिक और पारदर्शिता उपायों के साथ मछली पकड़ने को विनियमित करने के बारे में आर्थिक चिंतित प्रतीत होता है।

हालांकि संरक्षण के उपाय (जैसा कि विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनों में सुझाया गया है) और विभिन्न न्यायाधिकरणों के निर्णय (सर्वोत्तम विज्ञान या प्रासंगिक वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर संरक्षण उपायों को लागू करने और लुप्तप्राय समुद्री जीवित संसाधनों को विलुप्त होने से बचाने के लिए) को आदेश को सूचित करना चाहिए था। पारम्परिक मत्स्य गियर का उपयोग करने वाले पारंपरिक मछुआरों के विपरीत 'पर्स सीनर' अत्यधिक मछली पकड़ने में सक्षम हैं, इस प्रकार पारंपरिक मछुआरों की आजीविका को खतरे में डालते हैं।

### संरक्षण और सम्मेलन

शीर्ष अदालत को बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों से उत्पन्न होने वाले दायित्वों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, जो एक निश्चित अवधि में स्थायी मछली पकड़ने वाली प्रथाओं को लाने के लिए हैं, जिससे मछली जैसे सामान्य संसाधन को स्वाभाविक रूप से पुनः प्राप्त करने का समय मिलता है। यूएनसीएलओएस के अनुच्छेद 56.1 (ए) और 56.1 (बी) (iii) के तहत, तटीय राज्यों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए संप्रभु अधिकार हैं कि ईईजेड के जीवित और निर्जीव संसाधनों का उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन किया जाता है और अति दोहन के अधीन नहीं है। विदेशी बेड़े द्वारा क्षेत्र में प्रवेश भी पूरी तरह से तटीय राज्य के विवेक और उसके कानूनों और विनियमों के अधीन है।



अति दोहन को रोकने के लिए तटीय राज्यों को उपलब्ध सर्वोत्तम वैज्ञानिक प्रमाणों के आलोक में ईईजेड (यूएनसीएलओएस के अनुच्छेद 61(1) और (2)) में कुल स्वीकार्य मछली के पकड़ (टीएसी) का निर्धारण करना चाहिए। 'दक्षिणी ब्लूफिन टूना' 1993 (SBT) के संरक्षण के लिए कन्वेंशन से मार्गदर्शन भी शीर्ष अदालत द्वारा प्राप्त किया जा सकता था ताकि मछली पकड़ने के घटते स्टॉक की पुनः प्राप्ति सक्षम हो सके।

एसबीटी का सार टीएसी है तथा एसबीटी के लिए पार्टियों के बीच आवंटन का वितरण जो सामान्य मात्स्यिकी के संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रासंगिक हैं। टीएसी और मछली पकड़ने के कोटे का उद्देश्य मछुआरों के बीच टिकाऊ उपयोग को व्यवहार में लाना और अधिकतम टिकाऊ उपज (एमएसवाई) को बनाए रखना है। टीएसी को लागू करने और कोटा पकड़ने के प्रयासों को, एमएसवाई सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित सीमाओं से संबंधित वैज्ञानिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में स्थापित, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून अभ्यास एहतियाती दृष्टिकोण अपनाने पर निर्भर है।

### मछली पकड़ने के तरीकों का विनियमन

मछली पकड़ने के तरीकों को विनियमित किए बिना केवल दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक (न्यायालय के आदेश में) प्रतिबंधित करना पर्याप्त नहीं है। बड़े पैमाने के वेलापवर्ती जालों के उपयोग को छोड़ने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रयास धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पर्स सीन जाल का विशाल आकार, (2,000 मीटर लंबाई और 200 मीटर गहराई) बदले में पर्स सीनर्स के लिए अधिकतम मछली पकड़ने में सक्षम बनाता है और पारंपरिक मछुआरों के लिए अपर्याप्त है। ऐसे कई क्षेत्रीय संगठन हैं जो या तो बड़े ड्रिफ्ट नेट के उपयोग पर रोक लगाते हैं या कम से कम उनके निषेध का आह्वान करते हैं, जैसे कि 1989 का दक्षिण प्रशांत फोरम का 'तरावा घोषणा'।

1989 का 'कन्वेंशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ फिशिंग विथ लॉन्ग ड्रिफ्ट नेट्स इन द साउथ पैसिफिक', जो बहाव जाल फिशिंग जहाजों के लिए पोर्ट एक्सेस को प्रतिबंधित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 44/225 (1989) और 46/215 (1991) पारित किए और इस विकास का समर्थन किया और इसे मजबूत किया, जिसमें गहरे समुद्र में सभी बड़े पैमाने पर पेलाजिक ड्रिफ्ट नेट फिशिंग जहाजों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव उच्च समुद्र में राज्य पार्टियों पर लागू होते हैं, लेकिन ये सामान्य रूप से अत्यधिक मछली पकड़ने को रोकने और ईईजेड में मत्स्य प्रबंधन के संरक्षण के संदर्भ में भी प्रासंगिक हैं।

### गैर-चयनात्मक, मछली पकड़ने की तकनीक

न्यायालय के अंतिम फैसले में पर्स सीनर्स द्वारा गैर-चयनात्मक मछली पकड़ने के तरीकों पर गौर करने की जरूरत है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य समुद्री जीवित प्रजातियों (जिसमें कई बार लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हो सकती हैं) को व्यापार प्रतिबंध के लिए एक संभावित आधार माना जा सकता है। अनुच्छेद XX (बी) के तहत एक पार्टी मानव, पशु या पौधे के जीवन की रक्षा के लिए उपाय कर सकती है, बशर्ते इसमें "समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल हो, अगर ऐसे उपायों को घरेलू उत्पादन या खपत पर प्रतिबंध के साथ प्रभावी बनाया जाता है"।

अनुच्छेद XX (जी) में झींगा/कछुआ, अपीलीय निकाय ने माना कि अमेरिकी उपाय जो किसी भी देश से झींगा के आयात को प्रतिबंधित करता है, जिसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कछुआ-बहिष्कृत मछली पकड़ने का गियर नहीं है, जो अनुच्छेद XX (जी) अपवाद के संरक्षण के लिए उपयुक्त है। हालाँकि अपीलीय निकाय ने यह भी पाया कि अमेरिका के उपायों को इस तरह से लागू किया गया था कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों की तुलना में कुछ एशियाई देशों के साथ अलग व्यवहार करके 'चापलू' का उल्लंघन किया गया था।

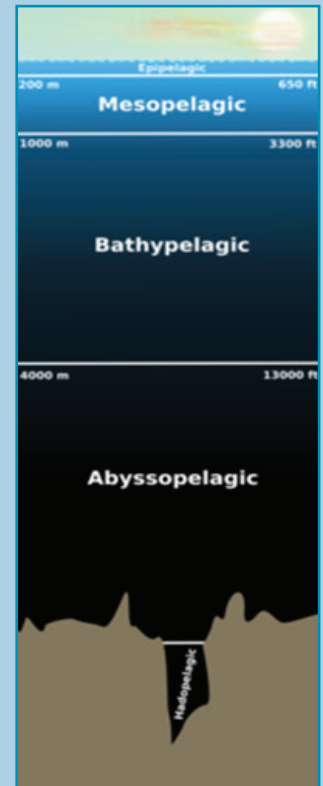
अधिकारियों द्वारा अपनाए गए सर्वोत्तम संरक्षण उपायों और मछली पकड़ने के तरीकों के नियमन के बावजूद, समुद्र के असीम चरित्र से निपटना एक चुनौती होगी, जो सभी के लिए मछली जैसे सामान्य संसाधन उपलब्ध कराता है। गैरेट हार्डिन का सिद्धांत 'द ट्रेजडी ऑफ द कॉमन्स', जो कहता है कि 'एक कॉमन्स में स्वतंत्रता सभी को बर्बाद कर देती है' को सभी मछुआरों को विशेष रूप से तमिलनाडु के पर्स सीनरों को विश्वास दिलाना चाहिए कि उन्हें संरक्षण उपायों के अनुपालन में सहयोग करना चाहिए।

### महासागरीय मंडल ( Ocean Zones)

- इपिपेलैजिक मंडल (Epipelagic Zone)
- प्रकाश मंडल (Photic Zone)
- मीजोपेलैजिक मंडल (Mesopelagic Zone)
- बैथिपेलैजिक मंडल (Bathypelagic Zone)
- अबिसोपेलैजिक मंडल (Abyssopelagic Zone)
- अप्रकाश मंडल (Aphotic Zone)
- हेडेलपेलैजिक मंडल (Hadalpelagic Zone)

### समुद्री क्षेत्र

- 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी' (UNCLOS) के अनुसार समुद्री जल और समुद्र तल में संसाधनों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है यथा आंतरिक जल (IW), प्रादेशिक सागर (TS) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)।
- आंतरिक जल (IW) का आशय बेसलाइन के भू-भाग वाले हिस्से में मौजूद जल निकायों से है, इसमें खाड़ी और छोटे खंड शामिल हैं। प्रादेशिक सागर (TS) बेसलाइन से 12 समुद्री मील तक फैला होता है, जहाँ हवाई क्षेत्र, समुद्र, समुद्र तल और भूमि तथा सभी जीवित एवं निर्जीव संसाधनों पर एक राष्ट्र की संप्रभुता होती है। 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील तक फैला होता है। वर्तमान में राष्ट्रों के पास इस क्षेत्र में सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन के लिये संप्रभु अधिकार हैं।
- दरअसल मत्स्य पालन राज्य का विषय है, इसलिये आंतरिक जल और प्रादेशिक सागर में मछली पकड़ना संबंधित राज्यों के दायरे में आता है। अन्य गतिविधियाँ जैसे- अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ना आदि संघ सूची में शामिल हैं।



### महासागरीय क्षेत्र एवं मछलियों की उपलब्धता

- गहरे समुद्र की मछलियाँ ऐसी मछलियाँ हैं जो सूरज की रोशनी वाली सतह के पानी के नीचे अंधेरे में रहती हैं, जो कि समुद्र के एपिपेलैजिक या फोटोनिक जोन के नीचे हैं। लैटर्न फिश अब तक की सबसे आम गहरे समुद्र की मछली है। अन्य गहरे समुद्र की मछलियों में फ्लैशलाइट फिश, कुकी कटर शार्क, ब्रिस्टल माउथ, एंगलर फिश, वाईपरफिश और ईलपाउट की कुछ प्रजातियां शामिल हैं।
- एपिपेलैजिक जोन (0-200 मीटर) वह क्षेत्र है जहाँ प्रकाश पानी में प्रवेश करता है और प्रकाश संश्लेषण होता है। इसे 'फोटो जोन' भी कहते हैं। क्योंकि यह आम तौर पर पानी के नीचे केवल कुछ सौ मीटर तक फैला होता है, गहरा समुद्र जो समुद्र की मात्रा का लगभग 90% है, अंधेरे में है।
- ज्ञात समुद्री प्रजातियों में से केवल 2% ही वेलापवर्ती वातावरण में निवास करती हैं। इसका मतलब यह है कि वे समुद्र तल में या उस पर रहने वाले बैथिक जीवों के विपरीत जल स्तंभ में रहते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाले जीव आमतौर पर बैथिपेलैजिक (1000-4000 मीटर गहरे) और अबिसोपेलैजिक (4000-6000 मीटर गहरे) क्षेत्रों में रहते हैं। हालांकि, गहरे समुद्र के जीवों की विशेषताएं, जैसे कि बायोलुमिनेसिसेंस मीजोपेलैजिक (200-1000 मीटर गहरे) क्षेत्र में भी देखी जा सकती हैं।
- मीजोपेलैजिक जोन, 'डिस्पोटिक जोन' है, जिसका अर्थ है कि वहाँ प्रकाश न्यूनतम है लेकिन फिर भी औसत दर्जे का है। समुद्र में जगह के आधार पर ऑक्सीजन न्यूनतम परत कहीं 700 मीटर और 1000 मीटर की गहराई के बीच मौजूद है। यह वह क्षेत्र भी है जहाँ पोषक तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। बैथिपेलैजिक और अबिसोपेलैजिक, 'जोन एफोटिक' हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भी प्रकाश समुद्र के इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है। ये क्षेत्र रहने योग्य समुद्री क्षेत्र का लगभग 75% हिस्सा बनाते हैं।

### संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी' (UNCLOS) के तहत समुद्री जल और समुद्र तल के संसाधनों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है।
2. प्रादेशिक सागर (Territorial Sea) बेसलाइन से 12 समुद्री मील तक फैला होता है, जहाँ हवाई क्षेत्र, समुद्र, समुद्र तल और भूमि तथा सभी जीवित एवं निर्जीव संसाधनों पर एक राष्ट्र की संप्रभुता होती है।
3. आंतरिक जल और प्रादेशिक सागर में मछली पकड़ना संबंधित राज्यों के दायरे में आता है। जबकि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ना संघ सूची में शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1                      (b) केवल 2  
(c) केवल 3                      (d) 1, 2 और 3

Que. Consider the following statements-

1. Under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), seawater and seabed resources are classified into three areas.
2. The Territorial Sea extends up to 12 nautical miles from the baseline, where a nation has sovereignty over the airspace, sea, ocean floor and land and all living and non-living resources.
3. Fishing in the internal waters and territorial sea comes under the purview of the respective states. While fishing in the exclusive economic zone is included in the union list.

Which of the above statement(s) is/are correct

- (a) Only 1                      (b) Only 2  
(c) Only 3                      (d) 1, 2 and 3

उत्तर : D

### संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : महासागरों के विभिन्न संसाधनों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये जिनका उपयोग विश्व में संसाधन संकट के समाधान के लिये किया जा सकता है। (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- ❖ महासागरों में मौजूद संसाधनों का बताइए।
- ❖ महासागरीय संसाधनों के दोहन के लाभ व हानि को बताइये तथा विश्व के संसाधन संकट का समाधान यह किस तरह कर सकता है बताइये।
- ❖ संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।